Congratulations - ARTEE Byelaws Approved by AROS Allahabad

Congratulations, ARTEE byelaws approved by Prasar Bharati and National Convention Allahabad now got approved by Registrar of Societies.

This was the main hurdle in the declaration of Elections. It is mentioned in approval letter that these byelaws are approved by Hon'ble High Court, Delhi.

Central Office appreciates the efforts of Sh. Jay Ram Singh, Unit Secy., DDK Allahabad.

Central Office

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उत्तर प्रदेश

कार्यालयः मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

58543 D-17392

पत्रांकः .... दिनांक 25/04/2017

श्री/श्रीमती अध्यक्ष

[illegible]

महोदय,

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 तथा यू0 पी0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1976 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु आपके पत्र सं0...................... दि0...................... के साथ प्राप्त आलेख्य निम्न निर्दिष्ट आपत्तियों के निराकरण हेतु वापस किया जा रहा है। शुद्ध आलेख्य पुनः प्रस्तुत करते समय कृपया इस पत्र का पूर्ण संदर्भ पत्र संख्या, दिनांक तथा पत्रावली संख्या अवश्य दें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वांछित शुद्ध आलेख्य इस पत्र के जारी किये जाने के एक माह के भीतर ही इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाए। तीन माह से भी अधिक विलम्ब से उक्त प्रपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में उन पर विचार करना संभव न होगा।

संलग्नकः

भवदीय

[illegible]

रजिस्ट्रार।

1- स्मृति-पत्र

(क) मोटे व टिकाऊ कागज पर केवल एक ओर टंकित होना चाहिये [नियम 5(2)]।

(ख) शब्द ''स्मृति-पत्र'' सबसे ऊपर अंकित होना चाहिये।

(ग) प्रथम स्तम्भ में केवल संस्था का नाम होना चाहिये (धारा 2 तथा नियम 3)।

(घ) द्वितीय स्तम्भ में संस्था का पूरा पता होना चाहिये (धारा 2 तथा नियम 3)।

(ड.) तृतीय स्तम्भ में संस्था के सभी उद्देश्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा 1 तथा 20 के अनुसार साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा धमार्थ आदि होने चाहिये, व्यावसायिक नहीं।

(च) चतुर्थ स्तम्भ में कार्यक्षेत्र दिया जाना चाहिये-

(छ) पंचम स्तम्भ के अन्तर्गत शीर्षक (अ) निम्न शब्दों में होना चाहिये--

''संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पूरे पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी संस्था के नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।''

इस शीर्षक के नीचे प्रबन्धकारिणी समिति की सूची (नाम, पता, व्यवसाय एवं पद) सहित देनी चाहिये (2 तथा नियम 5)।

(ज) छठा स्तम्भ में शीर्षक (इ) में निम्न शब्दों में होना चाहिये।

''हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।''

इस शीर्षक के नीचे संस्था बनाने के इच्छुक सभी सदस्यों के नाम, पता व हस्ताक्षर होना चाहिये (धारा-1 व 2 तथा नियम 3)।

(झ) यदि स्मृति-पत्र एक से अधिक पृष्ठों में आता है तो प्रत्येक पृष्ठ पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिये (हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिये) [धारा एक नियम 3 व 5(2)]

(ञ) स्मृति-पत्र अन्त में दिनांकित होना चाहिये (नियम 3)।

(ट) प्रत्येक महत्वपूर्ण काटना, जोड़ना, ठीक करना, कम से कम एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित होना चाहिये (नियम 5)[2]।